Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

अगस्त (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- उत्तर प्रदेश विधानसभा ने पारित किया 'लव जिहाद' विधेयक 3
- उत्तर प्रदेश में होगी लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स की स्थापना 4
- अयोध्या बना आदर्श सौर नगर 4
- उत्तर प्रदेश को नए मेडिकल कॉलेजों की अनुमति मिली 5
- NGT ने ठोस अपशिष्ट फेंकने पर जुर्माना लगाया 5
- उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड को पुन: सक्रिय किया गया 6
- उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवसाय परियोजना शुरू की जाएगी 6
- उत्तर प्रदेश विभाजन विभीषिका का स्मरण करेगा 7
- उत्तर प्रदेश में 2028 तक पर्यटन में पाँच गुना वृद्धि का लक्ष्य 8
- विद्या समीक्षा केंद्रों के लिये टोल-फ्री नंबर 8
- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में समस्याओं का समाधान 9
- युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की योजना 10
- भूमि रिकॉर्ड में अनियमितता के कारण UP रेरा द्वारा 400 परियोजनाओं पर रोक 10
- कैलिफोर्नियम 11
- उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी 12
- वाराणसी में SLCR परियोजना 12
- उत्तर प्रदेश का 2028 तक अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य 14
- वायनाड के लिये राहत और पुनर्वास निधि 15
- संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति 15
- उत्तर प्रदेश नई सोशल मीडिया पॉलिसी 16
- उत्तर प्रदेश बोर्ड व्यावसायिक शिक्षा शुरू करेगा 16
- उत्तर प्रदेश में प्रमुख रोज़गार पहल 17

नोट :

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने पारित किया 'लव जिहाद' विधेयक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने **उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024** पारित किया, जिसके तहत विशिष्ट परिस्थितियों में दोषी सिद्ध किये गए अपराधियों के लिये **अधिकतम आजीवन कारावास** की सज़ा का प्रावधान किया गया है।

मुख्य बिंदु

- इस विधेयक में **धोखाधड़ी या जबरन धर्म परिवर्तन के संबंध में कड़े प्रावधान** निहित हैं।
- यदि यह पाया जाता है कि धर्म परिवर्तन **धमकी, विवाह का वचन या साजिश** के तहत कराया गया है तो **20 वर्ष का कारावास** अथवा **आजीवन कारावास** की सज़ा का प्रावधान किया गया है। विधेयक के तहत इसे **सबसे गंभीर अपराध** की श्रेणी में रखा गया है।
- इस विधेयक के अनुसार न केवल पीड़ित और उसके माता-पिता अथवा भाई-बहन अपितु किसी भी व्यक्ति को **धर्म परिवर्तन से संबंधित मामलों में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने की अनुमति** है।
- इन मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से अवर किसी न्यायालय में नहीं होगी। विधेयक में इस अपराध को **अज़मानतीय** भी बनाया गया है।
- जो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे दो माह पहले संबंधित ज़िला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

राज्य स्तरीय धर्मांतरण विरोधी कानून:

- **ओडिशा (1967):** ओडिशा, धार्मिक रूपांतरण को प्रतिबंधित करने, बलपूर्वक धर्मांतरण और धोखाधड़ी के तरीकों पर रोक लगाने वाला कानून अधिनियमित करने वाला पहला राज्य है।
- **मध्य प्रदेश (1968):** राज्य में मध्य प्रदेश **धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम** क्रियान्वित किया गया, जिसमें कानून के तहत किसी भी धर्मांतरण गतिविधि के लिये ज़िला मजिस्ट्रेट को अधिसूचना देना आवश्यक कर दिया गया।
- अरुणाचल प्रदेश (1978), गुजरात (2003), छत्तीसगढ़ (2000 और 2006), राजस्थान (2006 तथा 2008), हिमाचल प्रदेश (2006 एवं 2019), तमिलनाडु (2002-2004), झारखंड (2017), उत्तराखंड (2018), उत्तर प्रदेश (2021) व **हरियाणा (2022)**।
  - इन राज्यों ने विभिन्न प्रकार के धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिये कानून बनाए हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण के लिये दंड को बढ़ाया गया है।
- **केंद्र का मत:** केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय को दिये एक शपथ-पत्र में कहा कि **धर्म के अधिकार में दूसरों को, विशेष रूप से धोखाधड़ी या बलपूर्वक माध्यम से धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं** है।
  - उन्होंने **सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा **अनुच्छेद 25** की व्याख्या का उल्लेख करते हुए बल दिया कि धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन व्यक्ति की अंत:करण की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है और लोक व्यवस्था को बाधित कर सकता है।
  - केंद्र ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वह याचिका में किये गए अनुरोध के अनुसार धार्मिक धर्मांतरण पर कोई विशेष कानून पेश करेगा।

नोट :

उत्तर प्रदेश में होगी लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स की स्थापना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **उत्तर प्रदेश सरकार** ने 30 ज़िलों में एक्सप्रेसवे के किनारे 33 **इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC)** की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की।

मुख्य बिंदु

- **पाँच प्रमुख एक्सप्रेसवे** के किनारे IMLC स्थापित किये जाएंगे जिनमें गंगा, बुंदेलखंड, आगरा-लखनऊ, गोरखपुर लिंक और पूर्वांचल शामिल है
  - आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे आगरा और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के लिये अतिरिक्त भूमि आवंटित की जाएगी। फिरोज़ाबाद, इटावा एवं कन्नौज में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को IMLC के रूप में विकसित किया जाएगा
- सभी अनुसूचित परियोजनाओं के लिये पर्यावरण और वन मंजूरी आवश्यक है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) ने एक परामर्श अभिकरण का चयन करने के लिये **प्रस्ताव के लिये अनुरोध (RFP)** प्रक्रिया शुरू की है।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA)

- यह **उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकास के लिये वर्ष 2007 में स्थापित एक प्राधिकरण** है।
- UPEIDA का मुख्यालय लखनऊ के **गोमती नगर स्थित पर्यटन भवन में अवस्थित** है।

अयोध्या बना आदर्श सौर नगर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश ने **अयोध्या** में सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से **40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता** हासिल की है।
जिसके कारण **अयोध्या** को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आदर्श सौर नगर का प्रतिष्ठित पदनाम **प्राप्त हुआ।**

मुख्य बिंदु

- इस नीति के अनुसार, **सौर शहर को ऐसे शहर के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग को कम-से-कम 10% तक कम कर सकते हैं।**
  - अयोध्या ने आवश्यक क्षमता से **दोगुनी क्षमता हासिल कर इस मानक को पार कर लिया है।**
- यह संयंत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (National Thermal Power Corporation- NTPC) ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा माझा रामपुर हलवारा और माझा सरायरासी गाँवों में सरयू नदी के पास स्थापित किया गया था।
  - **राज्य सरकार ने** सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना स्थापित करने के लिये NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को **165.10 एकड़ भूमि 1 रुपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 30 वर्षों के लिये पट्टे** पर दी है।
  - यह संयंत्र उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा **25 वर्षों के लिये लागत-प्लस-निर्धारित टैरिफ** पर खरीदा जाएगा, जिससे अयोध्या को एक आदर्श सौर शहर घोषित किया जा सकेगा।

सरयू नदी

- सरयू एक नदी है **जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है।**
- इस **नदी का प्राचीन महत्त्व है क्योंकि इसका उल्लेख वेदों और रामायण में मिलता है।**
- यह नदी **करनाली और महाकाली नदियों के संगम** पर बनती है। यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है।
- भगवान राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले **रामनवमी** के त्योहार पर **हज़ारों लोग अयोध्या में सरयू नदी में डुबकी** लगाते हैं

नोट :

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL)

- **14 जनवरी, 2000 को** यूपी में विद्युत क्षेत्र के सुधारों और पुनर्गठन के परिणामस्वरूप स्थापित किया गया, **जो विद्युत क्षेत्र का केंद्र बिंदु है** जो विद्युत के **संचारण, वितरण तथा आपूर्ति के माध्यम** से क्षेत्र की योजना एवं प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार है।
- यह पेशेवर रूप से प्रबंधित उपयोगिता है जो राज्य के प्रत्येक नागरिक को विश्वसनीय और लागत कुशल विद्युत की आपूर्ति करती है।

उत्तर प्रदेश को नए मेडिकल कॉलेजों की अनुमति मिली

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने उत्तर प्रदेश में सात नए मेडिकल कॉलेजों** को अनुमति दी और दो मौजूदा कॉलेजों में **सीटें बढ़ाईं।**

मुख्य बिंदु

- **बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर** में स्वायत्त राज्य मेडिकल कॉलेजों के लिये कुल मिलाकर **600 MBBS सीटों** की अनुमति जारी की गई है।
- इसके अतिरिक्त, आगरा और मेरठ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या में क्रमश: 72 तथा 50 की वृद्धि की गई है, **जिससे आगरा मेडिकल कॉलेज में कुल सीटें 200 एवं मेरठ मेडिकल कॉलेज में 150 हो गई हैं।**

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission- NMC)

- NMC **भारत में चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लिये सर्वोच्च नियामक निकाय है।**
- इसकी **स्थापना वर्ष 2020 में** राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 द्वारा **भारतीय चिकित्सा परिषद (Medical Council of India- MCI) के स्थान** पर की गई थी।
- इसमें चार स्वायत्त बोर्ड शामिल हैं: स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड तथा नैतिकता एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड।
  - NMC के पास एक चिकित्सा सलाहकार परिषद भी है, जो चिकित्सा शिक्षा और प्रैक्टिस से संबंधित मामलों पर आयोग को सलाह देती है।
- NMC प्रमुख स्क्रीनिंग परीक्षाओं जैसे कि NEET-UG, NEET-PG और FMGE के संचालन एवं देख-रेख के लिये ज़िम्मेदार है।
- यह **चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के मानकों एवं गुणवत्ता,** चिकित्सकों के पंजीकरण तथा नैतिकता एवं चिकित्सा संस्थानों के मूल्यांकन व रेटिंग को भी नियंत्रित करता है।
- NMC ने प्रतिष्ठित विश्व चिकित्सा शिक्षा महासंघ (World Federation for Medical Education- WFME) मान्यता भी प्राप्त की है, जिसका अर्थ है कि एनएमसी द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा डिग्रियों को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
  - WFME की स्थापना वर्ष 1972 में विश्व चिकित्सा संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य संगठनों द्वारा की गई थी।

NGT ने ठोस अपशिष्ट फेंकने पर जुर्माना लगाया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) ने उत्तर प्रदेश के **अनाधिकृत क्षेत्रों में अपशिष्ट फैलाने या ठोस अपशिष्ट डालने** पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके उल्लंघन पर 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- न्यायालय के अनुसार, उल्लंघनकर्त्ता को **पहली बार में 5,000 रुपए का पर्यावरण मुआवज़ा देना होगा,** तथा आगे भी अपशिष्ट फेंकने अथवा **ठोस अपशिष्ट डालने की घटनाओं पर 10,000 रुपए का मुआवज़ा** देना होगा।
- यदि कोई **थोक अपशिष्ट उत्पादक,** रियायतग्राही, शहरी स्थानीय निकाय या कोई अन्य व्यक्ति भारी मात्रा में अपशिष्ट फैलाते या डंप करते हुए पकड़ा जाता है, तो **पहली बार अपराध करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना** लगाया जाएगा तथा उसके बाद के **किसी भी अपराध के लिये 50,000 रुपए का जुर्माना** लगाया जाएगा।
- NGT ने यह आदेश **राप्ती नदी** के तटबंध पर अपशिष्ट डाले जाने से जल प्रदूषण होने संबंधी याचिका पर पारित किया।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT)

- यह **पर्यावरण संरक्षण तथा वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों** के प्रभावी व शीघ्र निपटान के लिये **राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एक विशेष निकाय** है।
- ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूज़ीलैंड के बाद, **भारत राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के गठन के साथ एक समर्पित पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश** और पहला विकासशील देश बन गया।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को आवेदनों अथवा अपीलों का अंतिम रूप से निपटान दायर होने के 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य है।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के पाँच बैठक स्थान हैं, **नई दिल्ली इसकी मुख्य बैठक स्थान है** तथा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई अन्य चार हैं।

उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड को पुन: सक्रिय किया गया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **उत्तर प्रदेश** के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने **एंटी रोमियो स्क्वाड टीमों को पुन: सक्रिय करने** के निर्देश दिये।

मुख्य बिंदु:

- मुख्यमंत्री ने **भयमुक्त वातावरण** की आवश्यकता पर बल दिया और **महिला सुरक्षा** को प्राथमिकता दी तथा ज़िला स्तरीय अधिकारियों को जन सुनवाई एवं संवाद सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
- **एंटी रोमियो स्क्वाड:**
  - इनका उद्देश्य **महिलाओं के साथ छेड़छाड़ पर अंकुश लगाना तथा उन्हें अधिक सुरक्षा प्रदान करना था।**
  - इसका उद्देश्य लड़कियों के कॉलेजों के बाहर उनके साथ **छेड़छाड़ और छेड़खानी में शामिल** पाए जाने वाले **लड़कों के खिलाफ कार्यवाही** करना है।
  - लेकिन युगलों को सिर्फ इसलिये रोक दिया गया क्योंकि वे एक साथ देखे गए थे, हालाँकि स्क्वाड के पास उन्हें रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवसाय परियोजना शुरू की जाएगी

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **विश्व बैंक** द्वारा **वित्त पोषित** 4,000 करोड़ रुपए की **कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना** शुरू करने की तैयारी कर रही है।

मुख्य बिंदु

- इस पहल से पूर्वी उत्तर प्रदेश और **बुंदेलखंड क्षेत्र** के 28 ज़िलों के किसानों, कृषि समूहों तथा कृषि **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME)** को लाभ होगा।

नोट :

- अनुमान है कि इस परियोजना से दस लाख किसानों को लाभ मिलेगा, जिनमें कृषि **स्वयं सहायता समूहों (SHG)** से जुड़ी 30% ग्रामीण महिलाएँ भी शामिल हैं।
  - परियोजना के तहत 100,000 मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
  - इसके अतिरिक्त, 500 किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों के प्रशिक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर भेजा जाएगा।
- सरकार **उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों** और कृषि बुनियादी ढाँचे में निवेश करने, कृषि क्षेत्र के लिये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिये **कार्बन क्रेडिट बाज़ार** का लाभ उठाने में उनकी सहायता करने की आशा रखती है।

कार्बन बाज़ार

- **कार्बन बाज़ार मूलत: कार्बन उत्सर्जन पर मूल्य निर्धारण करने का एक साधन है** - वे व्यापार प्रणालियाँ स्थापित करते हैं जहाँ कार्बन क्रेडिट या अनुमतियाँ खरीदी और बेची जा सकती हैं।
  - कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का **व्यापार योग्य परमिट** है, जो **संयुक्त राष्ट्र** के मानकों के अनुसार, वायुमंडल से **एक टन कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने**, कम करने या पृथक करने के बराबर होता है।
  - इस बीच, कार्बन अनुमतियाँ या सीमाएँ, **देशों या सरकारों द्वारा** उनके उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के अनुसार **निर्धारित** की जाती हैं।
  - कार्बन ट्रेडिंग की औपचारिक शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के **क्योटो प्रोटोकॉल** के तहत वर्ष 1997 में हुई थी।

उत्तर प्रदेश विभाजन विभीषिका का स्मरण करेगा

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, **उत्तर प्रदेश** सरकार **14 अगस्त, 2024** को **विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस** मनाने की तैयारी कर रही है।

मुख्य बिंदु

- भारत के **विभाजन के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिये, 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस'** मनाने का निर्णय लिया गया है।
- यह **भेदभाव, दुश्मनी और दुर्भावना को समाप्त करने के लिये** एक शक्तिशाली **अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है,** साथ ही **एकता, सामाजिक सद्भाव एवं मानवता के सशक्तीकरण को भी प्रेरित करता है।**
- इस अवसर पर, राज्य सरकार राज्य के 75 ज़िलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।
- स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ-साथ प्रदर्शनी स्थल पर भी **'विभाजन' से संबंधित फिल्में एवं वृत्तचित्र दिखाए जाएंगे।**
- **विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को इन प्रदर्शनियों का भ्रमण कराया जाएगा** और उन्हें इस ऐतिहासिक घटना से अवगत कराया जाएगा।

भारत का विभाजन

- यह **विभाजन धार्मिक भेदभाव पर आधारित** था, जिसमें भारत मुख्यत: हिंदू राष्ट्र के रूप में उभरा तथा पाकिस्तान मुसलमानों के लिये एक पृथक देश के रूप में स्थापित हुआ।
- **वर्ष 1947 में भारत का विभाजन दक्षिण एशियाई इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण क्षण था,** जिसके परिणामस्वरूप **ब्रिटिश भारत** दो स्वतंत्र देशों: **भारत और पाकिस्तान** में विभाजित हो गया।
  - विभाजन **बढ़ते धार्मिक तनाव** और अलग राष्ट्र की मांग का परिणाम था।
- इस प्रक्रिया में व्यापक **हिंसा और बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, क्योंकि लाखों लोग दो नवगठित राष्ट्रों के बीच आवागमन करते रहे।**
- **विभाजन के कारण इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे दुखद मानव पलायन शुरू हुआ,** जिसके साथ **सांप्रदायिक दंगे एवं अंतर-धार्मिक संघर्ष** भी हुए।
  - विभाजन की विरासत इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही है तथा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है, विशेष रूप से **कश्मीर के विवादित क्षेत्र** को लेकर।

नोट :

उत्तर प्रदेश में 2028 तक पर्यटन में पाँच गुना वृद्धि का लक्ष्य

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, **उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन स्थलों और बुनियादी ढाँचे का पुनरुद्धार कर रही है,** जिसका लक्ष्य **वर्ष 2028 तक पर्यटन को पाँच गुना बढ़ाना है।**

इसका लक्ष्य **70,000 करोड़ रुपए का सकल मूल्यवर्द्धन (GVA)** प्राप्त करना और **80 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित** करना है।

मुख्य बिंदु

- राज्य सरकार **राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु** पिछले साढ़े सात वर्षों से **पर्यटन स्थलों के पुनरोद्धार और परिवहन बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।**
  - इस पहल के परिणामस्वरूप पर्यटकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है **तथा वर्ष 2023 में 48 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश** की मनोरम सुंदरता का आनंद उठाया।
- **काशी, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट**, प्रयागराज, नैमिषारण्य और गोरखपुर जैसे आध्यात्मिक महत्त्व के शहरों में पर्यटन बढ़ा है।
  - सरकार इन शहरों में उच्चस्तरीय बुनियादी ढाँचे में सुधार कर रही है और पर्यटकों को विभिन्न स्थलों की खोज करने हेतु प्रेरित कर रही है।
  - **एक ज़िला, एक उत्पाद (One District, One Product- ODOP)** पहल यात्रियों को स्थानीय उत्पादों को दिखाने में महत्त्वपूर्ण है।
- **सरकार होटल, गेस्ट हाउस और होमस्टे की पहुँच बढ़ाने** पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।
  - इसके साथ ही, वे पर्यटकों की बढ़ती संख्या की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु **सरकारी पर्यटक और राही बंगलों को पुनर्जीवित** करने की योजना बना रहे हैं।

एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) पहल

- ODOP देश के प्रत्येक ज़िले के एक उत्पाद को बढ़ावा देने और ब्रांडिंग करके **ज़िला स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की एक पहल** है।
- इसका उद्देश्य **प्रत्येक ज़िले की स्थानीय क्षमता, संसाधनों, कौशल और संस्कृति का लाभ उठाना** तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उनके लिये **एक विशिष्ट पहचान बनाना** है।
- ODOP की अवधारणा **पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2018** में शुरू की गई थी।
- **देश के सभी 761 ज़िलों से 1000 से ज़्यादा उत्पादों का चयन किया गया है।** इस पहल में **कपड़ा, कृषि, प्रसंस्कृत सामान, फार्मास्यूटिकल्स और औद्योगिक वस्तुओं** सहित कई क्षेत्रों को **शामिल किया गया है।**
- इसके अलावा, जनवरी 2023 में **स्विट्ज़रलैंड के दावोस** में **विश्व आर्थिक मंच** में **भारतीय मंडप** में कई ODOP उत्पाद प्रदर्शित किये गए।

विद्या समीक्षा केंद्रों के लिये टोल-फ्री नंबर

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, **उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार** के प्रयासों के तहत **विद्या समीक्षा केंद्रों** के लिये एक **टोल-फ्री नंबर प्रणाली** लागू करने की तैयारी में है।

मुख्य बिंदु:

- यह टोल-फ्री लाइन **फीडबैक एकत्र करने, चिंताओं का समाधान करने तथा अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों से स्कूल शिक्षा संबंधी पूछताछ का समाधान करने के लिये एक मंच के रूप में** कार्य करेगी।

नोट :

- यह विभिन्न शैक्षिक चिंताओं के समाधान के लिये **इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस (Interactive Voice Response- IVR) तकनीक** का उपयोग करेगा।

- इस पहल से राज्य में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और समग्र स्कूल स्तर पर छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिये **सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने तथा शिक्षा प्रणाली को मज़बूत** करने की उम्मीद है।
  - इसके अतिरिक्त, सभी विद्या समीक्षा केंद्रों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

विद्या समीक्षा केंद्र (Vidya Samiksha Kendras- VSK)

- **परिचय:**
  - VSK का उद्देश्य अधिगम के परिणामों में बड़ी उपलब्धि के लिये **डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना** है।
  - इसमें **15 लाख से अधिक स्कूलों,** 96 लाख शिक्षकों और 26 करोड़ छात्रों के डेटा को कवर किया जाएगा तथा शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी को बढ़ाने के लिये बिग डेटा विश्लेषण, **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI)** एवं मशीन लर्निंग का उपयोग करके उनका सार्थक विश्लेषण किया जाएगा, जिससे अधिगम परिणामों में सुधार होगा।
- **उद्देश्य:**
  - समग्र शिक्षा के दायरे में **विभिन्न परियोजनाओं/गतिविधियों की वास्तविक समय स्थिति** की निगरानी करना।
  - नामांकित छात्रों पर नज़र रखना, जिसमें **अधिगम के परिणाम,** स्कूल छोड़ने वाले छात्र, शिक्षकों और स्कूलों द्वारा अपेक्षित सहायता आदि शामिल हैं।
  - **क्षेत्र स्तर की शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक गतिविधियों** की राज्य स्तर पर **निगरानी तथा ट्रैक करना** एवं क्षेत्र में प्रशासकों व शिक्षकों को डेटा आधारित निर्णय लेने हेतु सशक्त बनाना।
  - स्कूल पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के लिये **शिकायत निवारण तंत्र हेतु एक केंद्रीकृत सहायता डेस्क** स्थापित करना।
  - निर्णय लेने और कार्यान्वयन में सुधार के लिये क्षेत्रों की पहचान तथा उनका विश्लेषण करना जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में समस्याओं का समाधान

चर्चा में क्यों ?

एक आधिकारिक बयान में **उत्तर प्रदेश** के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने **केंद्र को राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी समस्या** का समय पर **समाधान करने का आश्वासन** दिया।

मुख्य बिंदु

- उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिये **विभागीय भूमि निशुल्क उपलब्ध** कराई जाएगी।
  - भूमि अधिग्रहण एवं मुआवज़ा वितरण की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी कर ली जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले **महाकुंभ** से संबंधित परियोजनाओं को पूर्ण करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

महा कुंभ

- कुंभ मेला **संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की UNESCO प्रतिनिधि सूची)** के अंतर्गत आता है।
- यह पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसके दौरान प्रतिभागी पवित्र नदी में स्नान करते हैं या डुबकी लगाते हैं।
  - यह **नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी,** हरिद्वार में गंगा और **प्रयागराज में गंगा, यमुना** तथा पौराणिक **सरस्वती नदी** के संगम पर होता है। इस को 'संगम' कहा जाता है।

नोट :

- चूँकि यह भारत के चार अलग-अलग शहरों में आयोजित किया जाता है, इसमें विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं, जिससे यह **सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण** त्योहार बन जाता है।एक **महीने से अधिक समय तक चलने वाले इस मेले** में एक विशाल तंबूनुमा बस्ती का निर्माण किया जाता है, जिसमें झोपड़ियाँ, मंच, नागरिक सुविधाएँ, प्रशासनिक और सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं।
  - इसका आयोजन सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों और पुलिस द्वारा
  - अत्यंत कुशलतापूर्वक किया जाता है।
- यह मेला विशेष रूप से वनों, पहाड़ों और गुफाओं के सुदूर स्थानों से आये **धार्मिक तपस्वियों की असाधारण उपस्थिति के लिये प्रसिद्ध** है।

युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक नई पहल, **मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना** शुरू करने की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

- इस योजना के तहत उद्यमिता में रुचि रखने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसका लक्ष्य राज्य भर में दस लाख **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)** इकाइयाँ स्थापित करना है।राज्य में किये गए निवेश के माध्यम से **16.2 मिलियन से अधिक युवाओं को रोज़गार** मिला है।
- केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर 62 लाख युवाओं को **स्वरोज़गार के अवसरों** से जोड़ा गया है।
- **उद्यमिता को और बढ़ावा देने के लिये,** नए उद्यमों को वित्तपोषित करने के लिये **एक समर्पित स्टार्ट-अप फंड की स्थापना की गई है।**

भूमि रिकॉर्ड में अनियमितता के कारण UP रेरा द्वारा 400 परियोजनाओं पर रोक

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने अपने पोर्टल पर लगभग 400 परियोजनाओं को रोक दिया है, क्योंकि डेवलपर्स आवश्यक भूमि रिकॉर्ड, नक्शे या दोनों अपलोड करने में विफल रहे।

- इनमें से कई परियोजनाएँ **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR)** में स्थित हैं।

प्रमुख बिंदु:

- **कार्रवाई का कारण:** वर्ष 2018 से लगातार नोटिस देने के बावजूद कई प्रमोटरों (प्रवर्तकों) ने इन दस्तावेज़ों को अपलोड नहीं किया।
- **उद्देश्य:** इस निर्णय का उद्देश्य आवंटियों को निवेश करने से पूर्व इन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी सुनिश्चित करके **संभावित धोखाधड़ी** से बचाना है।
- **वर्तमान अनुपालन: 400 परियोजनाओं में से केवल 57** ने आवश्यक स्पष्टीकरण या दस्तावेज़ प्रदान किये हैं।
- **भविष्य के कदम:** प्रमोटरों को आवश्यक दस्तावेज़ शीघ्र अपलोड करने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा उन्हें सख्त दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य घर खरीदारों की सुरक्षा के साथ-साथ भू-संपदा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना है।

- यह अधिनियम 1 मई 2016 से लागू हुआ।

नोट :

- **उद्देश्य:**
  - **भू-संपदा क्षेत्र** के विनियमन एवं संवर्द्धन के लिये **भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण** की स्थापना करना।
  - परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
  - भू-संपदा क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करना और विवादों के त्वरित समाधान हेतु न्याय निर्णय व्यवस्था स्थापित करना।
  - बिल्डर के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना।
  - भू-संपदा क्षेत्र को कैसे विकसित और बढ़ावा दिया जाए, इस पर सरकार को परामर्श देना।

कैलिफोर्नियम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने **50 ग्राम कैलिफोर्नियम** नामक पदार्थ ज़ब्त किया, जो कि अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु है और इसकी कीमत **850 करोड़ रुपए** है।

- हालाँकि **परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC)** द्वारा किये गए **प्रारंभिक परीक्षणों** में कोई **रेडियोधर्मिता नहीं** पाई गई।

मुख्य बिंदु:

- **कैलिफोर्नियम के बारे में:**
  - कैलिफोर्नियम का नाम अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया और विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है।
  - इसे पहली बार 1950 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के शोधकर्त्ताओं द्वारा संश्लेषित किया गया था।
  - कैलिफोर्नियम एक **चाँदी-सफेद रंग की सिंथेटिक रेडियोधर्मी धातु** है, जिसकी आवर्त सारणी में **परमाणु संख्या 98** है।
  - यह **प्राकृतिक** रूप से नहीं पाया जाता है और इसका उत्पादन **नाभिकीय अभिक्रियाओं** विशेष रूप से **क्यूरियम पर** हीलियम आयनों की **बमबारी** के माध्यम से होता है।
    - **क्यूरियम** एक **कठोर धातु** है जिसका **परमाणु क्रमांक 96** और **प्रतीक Cm** है। यह धातु परमाणु रिएक्टरों में कृत्रिम रूप से उत्पादित की जाती है।
    - **हीलियम आयन** हीलियम का **एक धनात्मक आवेशित परमाणु** होता है, जिसे आमतौर पर He^+ के रूप में दर्शाया जाता है। यह तब बनता है जब हीलियम परमाणु अपने एक या अधिक इलेक्ट्रॉन खो देता है।
  - **गुण:**
    - कैलिफोर्नियम **अत्यधिक रेडियोधर्मी** है और मूल्यवान तथा खतरनाक दोनों है।
    - यह आवर्त सारणी पर **एक्टिनाइड श्रृंखला** से संबंधित है।
    - उल्लेखनीय समस्थानिकों में **Cf-251** शामिल है, जो **898 वर्ष की अर्द्ध आयु**के साथ सबसे अधिक स्थिर है, साथ ही **Cf-249** और **Cf-250** भी शामिल हैं, जिनकी **अर्द्ध आयु** इससे भी कम है।
- **रेडियोधर्मिता:**
  - यह कुछ अस्थिर परमाणुओं (रेडियोन्यूक्लाइड) का गुण है कि वे स्वत: ही नाभिकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, आमतौर पर **अल्फा कण** या **बीटा कण**, जिनके साथ प्राय: **गामा किरणें** भी होती हैं।
- **परमाणु ऊर्जा विभाग:**
  - **परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)** की स्थापना **3 अगस्त, 1954** को **राष्ट्रपति के आदेश** के माध्यम से **प्रधानमंत्री** के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन की गई थी।
  - इस आदेश के अनुसार, **परमाणु ऊर्जा** से संबंधित भारत सरकार के सभी व्यवसाय तथा **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1948** के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यों को **परमाणु ऊर्जा विभाग** में ही संचालित करने का निर्देश दिया गया।

नोट :

- **भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC):**
  - **BARC** भारत की **अग्रणी परमाणु अनुसंधान सुविधा** है जो **परमाणु ऊर्जा विभाग** के अधीन संचालित होती है।
  - एक **बहु-विषयक अनुसंधान केंद्र के रूप में**, BARC परमाणु विज्ञान, इंजीनियरिंग और संबंधित क्षेत्रों की पूरी श्रृंखला में उन्नत अनुसंधान एवं विकास के लिये व्यापक बुनियादी ढाँचे से सुसज्जित है।
  - यह **भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (NPCIL)** के लिये प्राथमिक अनुसंधान सहायता के रूप में भी कार्य करता है, जो भारत के सभी परमाणु रिएक्टरों का प्रबंधन करता है।

उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से **अयोध्या** और **वृंदावन** में **जन्माष्टमी उत्सव** मनाया जा रहा है, जहाँ भक्त मंदिरों में जा रहे हैं तथा त्योहार के लिये खरीदारी कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु:

- **कृष्ण जन्माष्टमी**, जिसे **गोकुलाष्टमी** या **श्रीकृष्ण जयंती** भी कहा जाता है, **विष्णु के आठवें अवतार** भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है।
- कृष्ण जन्माष्टमी आमतौर पर **अगस्त या सितंबर** में **चंद्र-सौर हिंदू कैलेंडर** के **भाद्रपद महीने** में **कृष्ण पक्ष** की **अष्टमी (आठवें दिन)** को मनाई जाती है।
- **जन्माष्टमी** का एक प्रमुख आकर्षण **"दही हांडी"** उत्सव है।

उत्तर प्रदेश के महत्त्वपूर्ण मेले

- **ताज महोत्सव:**
  - यह **आगरा के शिल्पग्राम** में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक जीवंत **10 दिवसीय उत्सव** है। यह उत्सव 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश में पनपी समृद्ध **मुगल तथा नवाबी संस्कृति** से प्रेरित है।
- **कुंभ मेला:**
  - **कुंभ मेला** विश्व के **सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों** में से एक है, जिसे **हिंदुओं** द्वारा प्रत्येक **12 वर्ष** में भारत में चार स्थानों पर मनाया जाता है: **प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन।**
    - तीर्थयात्री आध्यात्मिक शुद्धि की तलाश में पवित्र नदियों (गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और शिप्रा) में स्नान करने के लिये एकत्र होते हैं।
- **गंगा महोत्सव:**
  - गंगा नदी भारत के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है और इसने अपने तट पर कई सभ्यताओं को पोषित किया है। **कार्तिक महीने** के दौरान **वाराणसी** में नदी देवी को उनके आशीर्वाद के लिये धन्यवाद देने के लिये त्योहार मनाया जाता है।
    - घाटों को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा पर लोग नदी के किनारे मिट्टी के दीये जलाने एवं प्रवाहित करने के लिये एकत्रित होते हैं।

वाराणसी में SLCR परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **भारत और डेनमार्क सरकारों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी** ने प्रमुख सहयोग को सुगम बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप **वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला (SLCR)** की स्थापना हुई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- यह **भारत सरकार (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान - बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ((IIT-BHU) तथा डेनमार्क सरकार** के बीच छोटी नदियों के पुनरुद्धार एवं प्रबंधन में उत्कृष्टता लाने के लिये एक अनूठी त्रिपक्षीय पहल है।
- SLCR का उद्देश्य सतत् उपायों का उपयोग करके **वरुणा नदी** को बहाल करना है।
  - इसके लक्ष्यों में सरकारी एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय समुदायों के लिये ज्ञान का आदान-प्रदान करने तथा स्वच्छ नदी जल को बनाए रखने के लिये समाधान तैयार करने के लिये एक सहयोगी मंच स्थापित करना शामिल है
  - इस पहल में IIT-BHU में एक हाइब्रिड लैब मॉडल और वरुणा नदी पर एक जीवित प्रयोगशाला शामिल है, ताकि वास्तविक दुनिया के वातावरण में समाधानों का परीक्षण एवं पैमाना बनाया जा सके।
- **भारत-डेनमार्क संयुक्त संचालन समिति (JSC)** SLCR के लिये सर्वोच्च मंच है जो रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करती है और प्रगति की समीक्षा करती है।
- **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG), केंद्रीय जल आयोग (CWC), केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB), IIT-BHU और डेनमार्क के शहरी क्षेत्र परामर्शदाता के सदस्यों वाली परियोजना समीक्षा समिति (PRC) परियोजना स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण की देख-रेख करेगी।**
- सहयोग के तहत **चार परियोजनाएँ** शुरू की जाएंगी:
  - पहली परियोजना में **जल प्रबंधन के लिये निर्णय समर्थन प्रणाली (DSS)** का निर्माण करना शामिल है, जिसे जल विज्ञान मॉडल, परिदृश्य निर्माण, पूर्वानुमान और डेटा विश्लेषण का उपयोग करके बेसिन जल गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - दूसरी परियोजना उभरते **प्रदूषकों के लक्षण-निर्धारण और फिंगरप्रिंट विश्लेषण** पर केंद्रित है। इसमें प्रदूषकों की पहचान तथा मात्रा निर्धारित करने के लिये क्रोमैटोग्राफी एवं मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसी उन्नत विश्लेषणात्मक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
  - **रिचार्ज साइट्स के लिये वरुणा बेसिन का हाइड्रोजियोलॉजिकल मॉडल** चौथी परियोजना होगी। इसका उद्देश्य **प्रबंधित जलभृत पुनर्भरण (MAR) के माध्यम से बेस फ्लो को बढ़ाना** है।

वरुणा नदी

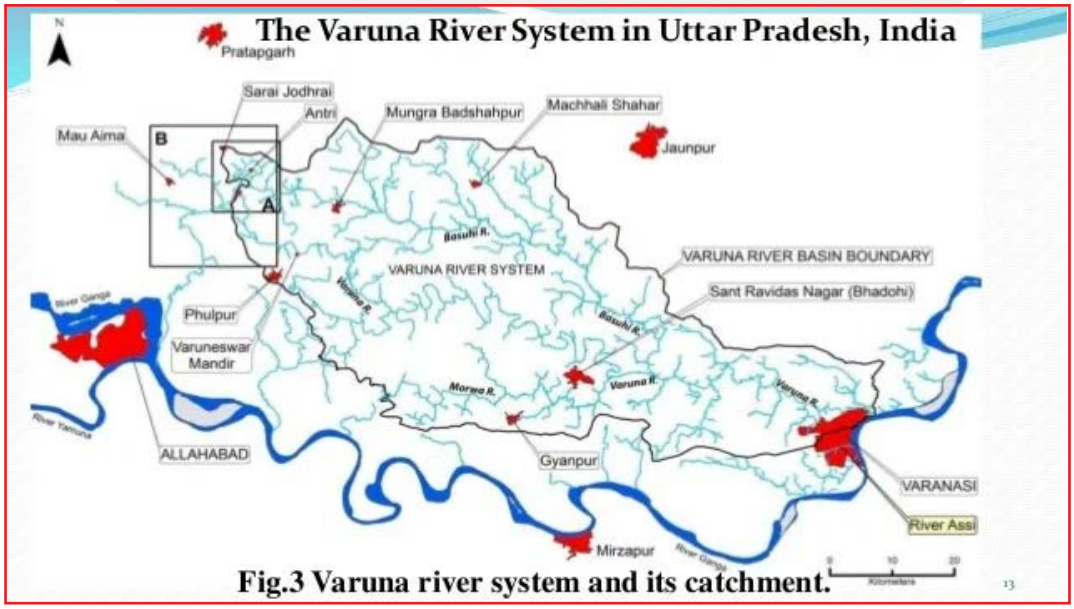

Fig.3 Varuna river system and its catchment.

नोट :

- यह **गंगा नदी की एक छोटी सहायक नदी** है। यह **प्रयागराज ज़िले के फूलपुर शहर** से बहती है
  - यह **वाराणसी ज़िले** के सराय मोहना गाँव के पास **गंगा नदी में मिल जाती** है
- **'वाराणसी' ज़िले का नाम** दो नदियों, **वरुणा और अस्सी नदियों** के नाम से लिया गया है।

उत्तर प्रदेश का 2028 तक अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, **उत्तर प्रदेश** भारत में एक **प्रमुख पर्यटन स्थल** बनने के लिये तैयार है, जिसका वर्ष **2028 तक 80 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य** है।

मुख्य बिंदु

- **उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई**, जो वर्ष 2016-17 में 23 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 48 करोड़ हो गई, जो **51% की वृद्धि** है।
- राज्य सरकार प्रमुख स्थानों को बढ़ावा देने के लिये **राज्य भर में 12 नए पर्यटन सर्किट** विकसित कर रही है।
  - 12 नए पर्यटन सर्किट हैं: **रामायण सर्किट, सूफी-कबीर सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट, कृष्ण-ब्रज सर्किट, शक्ति-पीठ सर्किट, महाभारत सर्किट, वन्यजीव और ECO पर्यटन सर्किट, स्वतंत्र संग्राम सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, बौद्ध सर्किट एवं शिल्प सर्किट**।
- पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए **स्थानीय अवसंरचना और आवास विकल्पों में सुधार** के प्रयास किये जा रहे हैं।
- राज्य **आध्यात्मिक पर्यटन** पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसके तहत बड़ी संख्या में श्रद्धालु **अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य और प्रयागराज** जैसे धार्मिक स्थलों पर जाते हैं।
- मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है तथा पर्यटन क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने के लिये **ताजमहल** और **राम मंदिर** जैसी राज्य की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संपत्तियों का लाभ उठाया है।

उत्तर प्रदेश के महत्त्वपूर्ण मेले

- **ताज महोत्सव:**
  - यह **आगरा के शिल्पग्राम** में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला **एक जीवंत 10 दिवसीय उत्सव** है। यह उत्सव 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश में पनपी **समृद्ध मुगल एवं नवाबी संस्कृति** से प्रेरित होता है।
- **कुंभ मेला:**
  - यह **विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक** है, जिसे हिंदुओं द्वारा **हर 12 वर्ष में भारत में चार स्थानों** :प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और **उज्जैन** में मनाया जाता है।
  - तीर्थयात्री आध्यात्मिक शुद्धि की तलाश में **पवित्र नदियों (गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और शिप्रा**) में स्नान करने के लिये एकत्र होते हैं।
- **गंगा महोत्सव:**
  - **गंगा नदी** भारत के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है और इसने अपने तटों पर कई सभ्यताओं को सहारा दिया है। **कार्तिक महीने के दौरान वाराणसी में** नदी देवी को उनके आशीर्वाद के लिये अपना आभार व्यक्त करने तथा उनसे और अधिक मांगने के लिये यह महोत्सव मनाया जाता है।
  - घाटों को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है तथा कार्तिक पूर्णिमा पर लोग नदी के किनारे मिट्टी के दीये जलाने एवं प्रवाहित करने के लिये एकत्रित होते हैं।

नोट :

वायनाड के लिये राहत और पुनर्वास निधि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **उत्तर प्रदेश सरकार** ने **भूस्खलन प्रभावित वायनाड ज़िले** में **राहत और पुनर्वास** प्रयासों में सहायता के लिये **केरल सरकार को 10 करोड़ रुपए मंज़ूर** किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- केरल के वायनाड ज़िले में **भारी वर्षा और नाज़ुक पारिस्थितिक स्थितियों** के कारण **जुलाई 2024 की शुरुआत में विनाशकारी भूस्खलन** आपदा आई
- **चूरलमाला और मुंडक्कई गाँवों में भूस्खलन** से कम-से-कम 144 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 197 लोग घायल हो गए, ज़िले में **24 घंटे** में **140 mm** से अधिक वर्ष हुई, जिससे मृदा संतृप्त हो गई एवं नीचे की कठोर चट्टानों से उसकी पट्टी कमज़ोर हो गई।

भूस्खलन

- **परिचय:**
  - भूस्खलन एक ढलान पर **चट्टान, मृदा और मलबे का नीचे की ओर खिसकना** है, जिसमें छोटे-मोटे बदलाव से लेकर बड़े, विनाशकारी घटनाक्रम शामिल होते हैं
  - यह **प्राकृतिक या मानव निर्मित ढलानों पर हो सकता है** और **भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि, मानवीय गतिविधियों** तथा भूजल स्तर में बदलाव जैसे कारकों से शुरू होता है।
- **भारत में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिये सरकारी पहल:**
  - **राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (2019):** राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (2019) एक व्यापक रणनीति है **जो खतरे के मानचित्रण, निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जागरूकता कार्यक्रम, क्षमता निर्माण, नीतियों और स्थिरीकरण उपायों को संबोधित करती है।**
  - **भूस्खलन जोखिम शमन योजना (LRMS):** भूस्खलन जोखिम शमन योजना (LRMS) तैयारी के तहत, जिसका उद्देश्य संवेदनशील राज्यों में **भूस्खलन शमन परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है**, जिसमें आपदा निवारण, शमन रणनीतियों और गंभीर भूस्खलनों की निगरानी के लिये अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा
    - यह पहल प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) की स्थापना में योगदान देगी तथा क्षमता निर्माण प्रयासों को बढ़ाएगी।
  - **बाढ़ जोखिम शमन योजना (FRMS):** बाढ़ आश्रयों, नदी बेसिन-विशिष्ट प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और बाढ़ की तैयारी तथा निकासी के लिये डिजिटल उन्नयन मानचित्रों के विकास के लिये बाढ़ जोखिम शमन योजना (FRMS)।
  - **भूस्खलन और हिमस्खलन पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा दिशा-निर्देश, जिसमें खतरा आकलन, जोखिम प्रबंधन, संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय, संस्थागत तंत्र, वित्तीय व्यवस्था तथा सामुदायिक भागीदारी शामिल है।
  - **भारत का भूस्खलन एटलस:** यह एक विस्तृत संसाधन है जो देश के संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं का दस्तावेज़ीकरण करता है और इसमें कुछ स्थलों के लिये क्षति का आकलन भी शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के तहत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) द्वारा विकसित, यह भारत में भूस्खलन से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 500 से अधिक **संस्कृत विद्यालयों** में **पढ़ने वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति** देने का निर्णय लिया है।

नोट :

मुख्य बिंदु

- राज्य ने **यह शर्त** भी **हटा दी** कि उनकी **पारिवारिक आय वार्षिक 50,000 रुपए से कम होनी चाहिये।**
- इस नई योजना के तहत **कक्षा 6 और 7 के बच्चों को 50 रुपए तथा कक्षा 8 के** बच्चों को **75 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति** दी जाएगी।
- कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को 100 रुपए प्रति माह तथा कक्षा 11 एवं **12 के विद्यार्थियों को 200 रुपए प्रतिमाह दिये जायेंगे।**

उत्तर प्रदेश नई सोशल मीडिया पॉलिसी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल** ने एक **नई सोशल मीडिया पॉलिसी** को मंज़ूरी दी, जिसका उद्देश्य **फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब** सहित सभी प्लेटफार्मों पर सामग्री को विनियमित करना है।

मुख्य बिंदु

- नई सोशल मीडिया पॉलिसी के अनुसार, **सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने प्लेटफॉर्म पर सरकार की योजनाओं और पहलों को साझा करके प्रति माह 8 लाख तक की आय अर्जित कर सकते हैं।**
  - देश के विभिन्न भागों एवं विदेशों में रह रहे राज्य के निवासियों को बड़ी संख्या में रोज़गार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
- सूत्रों के अनुसार, लिस्टिंग के लिये एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को **सब्सक्राइबर तथा फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है।**
  - **एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम** के खाताधारकों या ऑपरेटरों अथवा प्रभावितों को भुगतान के लिये **श्रेणीवार अधिकतम भुगतान सीमा क्रमशः 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए प्रति माह** निर्धारित की गई है।
  - **यूट्यूब पर** वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिये **श्रेणीवार अधिकतम भुगतान सीमा क्रमशः 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए प्रति माह** तय की गई है।
- सरकार ने विज्ञापनों को संभालने के लिये एक **डिजिटल एजेंसी 'V-फॉर्म'** को सूचीबद्ध किया है। यह **वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील दिखाने के लिये ज़िम्मेदार** होगी।
- नीति में **आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री से निपटने के लिये दिशा-निर्देश** भी प्रस्तुत किये गए हैं।
  - **सोशल मीडिया पर राष्ट्रविरोधी, असामाजिक, फेक न्यूज़ या भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने** पर कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर प्रदेश बोर्ड व्यावसायिक शिक्षा शुरू करेगा

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, **उत्तर प्रदेश बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा** को शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- इसका मुख्य उद्देश्य **छात्रों को कक्षा 12 में पहुँचने तक** विभिन्न व्यावसायिक विषयों में **महत्त्वपूर्ण कौशल प्रदान करना है**, जिससे वे अपने दम पर उद्यमशीलता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।
- यह परिवर्तनकारी बदलाव **नई शिक्षा नीति (NEP) 2020** और **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF)** के तहत लागू किया जा रहा है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं।
  - **पाठ्यक्रम में कई तरह के विषय शामिल होंगे**, जिनमें पाक कला, कन्फेक्शनरी, मधुमक्खी पालन, नर्सरी प्रबंधन, खाद्य संरक्षण, फल संरक्षण और फसल सुरक्षा शामिल हैं, जिनमें सभी में जीवित जीवों के साथ कार्य करना शामिल है
  - **मशीनरी श्रेणी में** छात्रों को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, IT, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन, मोबाइल रिपेयरिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फोटोग्राफी, गारमेंट डिज़ाइन और डेकोरेशन, स्टेनोग्राफी, टाइपिंग, प्रिंटिंग, रेडियो तथा टेलीविज़न टेक्नोलॉजी जैसे विषयों का पता लगाने का अवसर मिलेगा

नोट :

- **सेवा प्रदाता श्रेणी में** स्वास्थ्य सेवा, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, धुलाई और रंगाई, बैंकिंग, अकाउंटेंसी, पर्यटन एवं आतिथ्य में पाठ्यक्रम पेश किये जाएंगे।

- **कक्षा 6 से 10 तक विद्यार्थियों को इन विषयों में आधारभूत शिक्षा दी जाएगी** तथा **कक्षा 11 व 12 में वे इनमें से किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करेंगे।**
  - व्यावसायिक विषयों में हाई स्कूल तक 31 विषय और इंटरमीडिएट तक 44 विषय शामिल हैं। इन विषयों के लिये पाठ्यक्रम **NCERT स्तर** पर तैयार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा

- **परिचय:**
  - **NCF नई शिक्षा नीति (NEP) 2020** के प्रमुख घटकों में से एक है, जो NEP 2020 के उद्देश्यों, सिद्धांतों और दृष्टिकोण से सूचित इस परिवर्तन को सक्षम एवं सक्रिय करता है
  - **NCF** में अतीत में चार- वर्ष **1975, 1988, 2000 और 2005** में संशोधन हुए हैं। **प्रस्तावित संशोधन, यदि लागू किया जाता है, तो ढाँचे का पाँचवाँ संशोधन होगा।**
- **NCF के चार खंड:**
  - **स्कूली शिक्षा के लिये NCF (NCF- SE)**
  - **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिये NCF (आधारभूत चरण)**
  - **शिक्षक शिक्षा के लिये NCF**
  - **वयस्क शिक्षा के लिये NCF**
- **उद्देश्य:**
  - इसका उद्देश्य शिक्षाशास्त्र सहित पाठ्यक्रम में सकारात्मक बदलावों के माध्यम से, NEP 2020 में परिकल्पित भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली को सकारात्मक रूप से बदलने में सहायता करना है
  - इसका उद्देश्य सभी बच्चों के लिये उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा का एहसास करना है, जो भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित एक समतापूर्ण, समावेशी और बहुलवादी समाज को साकार करने के अनुरूप है

उत्तर प्रदेश में प्रमुख रोज़गार पहल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **उत्तर प्रदेश** के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार **अगले दो वर्षों में युवाओं को 2 लाख रोज़गार** उपलब्ध कराएगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने **मुज़फ्फरनगर में ज़िला स्तरीय रोज़गार एवं ऋण मेले** के दौरान 5,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति-पत्र वितरित किये।
- उन्होंने चयनित लाभार्थियों और **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME)** उद्यमियों को 30 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण भी वितरित किये, जिसका उद्देश्य उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिये सशक्त बनाना है
- **स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना** के तहत 1,000 से अधिक युवाओं को **टैबलेट और स्मार्टफोन** वितरित किये गए
- साथ ही **60,000 से अधिक पुलिस पदों के लिये भर्ती** की घोषणा की।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना

- इस योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के विभिन्न शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में **नामांकित छात्र, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल और नर्सिंग छात्र** आदि को इस योजना का लाभ मिलेगा
- राज्य सरकार छात्रों को उनके संबंधित विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान के माध्यम से **टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरित** करेगी
- ये डिवाइस छात्रों के बीच सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायता करेंगे।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :